

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020

एस.के. फिनकार्प लिमिटेड,  
क्षेत्रीय कार्यालय:- जी-1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री रतन लाल प्रजापत पुत्र श्री धूकल प्रजापत,  
निवासी:- 87, राजपुत मौहल्ला, तिलोरा, जिला अजमेर-305022, राज0।
- (2) श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री रतन लाल प्रजापत,  
निवासी:- बस स्टेण्ड के पास, तिलोरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर-305022, राज
- (3) श्री प्रकाश धूकल पुत्र श्री धूकल प्रजापत,  
निवासी:- बस स्टेण्ड के पास, तिलोरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर-305022, राज
- (4) श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री प्रकाश,  
निवासी:- 87, राजपुत मौहल्ला, तिलोरा, जिला अजमेर-305022, राज0।
- (5) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल,  
निवासी:- कुम्हारो का मौहल्ला, जिला अजमेर-305022, राज0।..... अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अश्वनि मोटोलिया

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 10.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री रतन लाल प्रजापत पुत्र श्री धूकल प्रजापत एवं श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री रतन लाल प्रजापत, वगैरह निवासी:- 87, राजपुत मौहल्ला, तिलोरा, जिला अजमेर-305022, राज0 को दिनांक 10.11.2017 को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर राजस्थान स्थित अचल सम्पत्ति क्षेत्रफल 143.55 वर्ग गज, जो प्रकाश धूकल पुत्र श्री धूकल प्रजापत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाए - पूर्व में-सम्पत जी का मकान, पश्चिम में-गली, उत्तर में-गली, दक्षिण में-रोड, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.08.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 01.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 12,71,570/- (अक्षरे बारह लाख इकहत्तर हजार पांच सौ सत्तर रुपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities



*Signature*

जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में जी का ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर राजस्थान स्थित अचल सम्पति क्षेत्रफल 143.55 वर्ग गज, जो प्रकाश धूकल पुत्र श्री धूकल प्रजापत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ - पूर्व में-सम्पत जी का मकान, पश्चिम में-गली, उत्तर में-गली, दक्षिण में-रोड, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 10.01.2020 को सुनाया गया।



*Shiv Mohan Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर